

प्रेस नोट

दिनांक 27.08.2023

**सराहनीय कार्य थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी पुलिस
चोरियों का खुलासा, चोरी के 14 अदद अंगूठी, 3 जोड़ी पायल (सफेद धातु) 01 अंगूठी पीली धातु, 15,000/-
रुपये नगद के साथ 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार।**

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 27.08.2023 को उ0नि0 रामविभू सिंह थाना बाजारशुक्ल मय हमराही द्वारा तलाश वांछित, देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान क्षेत्र में भ्रमण करते हुए शाहपुर औलाद हुसैन गांव होते हुए सत्थिन चौकी की तरफ जा रहे थे कि मंगरौली तिराहे पर पान की गुमटी के पीछे 03 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिये, जिन्हे टोका गया तो भगने लगे। जिन्हे पुलिस टीम द्वारा हिकमतअली से घेर कर पकड़ लिया गया। पूछने पर एक ने अपना नाम सोनू बनमानुष पुत्र रामचरन नि0 चमरी का पुरवा मजरे खण्डासा थाना खण्डासा जनपद अयोध्या, दूसरे ने शनि कुमार पुत्र रामसजीवन नि0 चमरी का पुरवा मजरे खण्डासा थाना खण्डासा जनपद अयोध्या, व तीसरे ने निरहू बनमानुष पुत्र राम बहादुर नि0 चमरी का पुरवा मजरे खण्डासा थाना खण्डासा जनपद अयोध्या बताया। पकड़े गये तीनों व्यक्तियों की तलाशी ली गयी तो सोनू बनमानुस के कब्जे से 14 अदद अंगूठी सफेद धातु, 01 अंगूठी पीली धातु व 03 हजार रुपये नगद, शनि कुमार के कब्जे 03 जोड़ी पायल सफेद धातु व 03 हजार रुपये नगद, निरहू बनमानुष के कब्जे से कुल 9 हजार रुपये नगद बरामद हुआ। बरामद जेवरात व रूपयों के बारे में पूछने पर तीनों ने बताया कि यह सब चोरी का है, जिसे हम तीनों लोग लगभग 05-06 दिन पूर्व ग्राम बलापुर में मकान के पीछे से दीवाल फांदकर घर में घुस कर चोरी किये थे व लगभग 06-07 दिन पूर्व ग्राम अकरा में एकान्त में बने मकान में दीवाल से चढ़कर घर में घुस कर चोरी किया था, बरामद जेवरात व रुपये उन्ही चोरियों के हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबन्ध में थाना बाजार शुक्ल पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सोनू बनमानुष पुत्र रामचरन नि0 चमरी का पुरवा मजरे खण्डासा थाना खण्डासा जनपद अयोध्या उम्र करीब 30 वर्ष।
2. शनि कुमार पुत्र रामसजीवन नि0 चमरी का पुरवा मजरे खण्डासा थाना खण्डासा जनपद अयोध्या उम्र करीब 20 वर्ष।
3. निरहू बनमानुष पुत्र राम बहादुर नि0 चमरी का पुरवा मजरे खण्डासा थाना खण्डासा जनपद अयोध्या उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी-

1. 14 अदद अंगूठी (सफेद धातु)
2. 3 जोड़ी पायल (सफेद धातु)
3. 01 अंगूठी पीली धातु
4. 15,000/- रुपये नगद।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. मु0अ0सं0 194/23 धारा 457,380,411 भादवि थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 195/23 धारा 457,380,411 भादवि थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 रामजी सिंह थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 रामविभू सिंह थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी।
3. हे0का0 राजबहादुर सिंह थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी।
4. का0 रामनरेश राजभर थाना बाजार शुक्ल जनपद अमेठी।